संघ लोक सेवा आयोग

प्रेस नोट

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2024

******

दिनांक : 26 जुलाई, 2024

संघ लोक सेवा आयोग दिनांक 04.08.2024 (रविवार) को देशभर में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा - 2024 आयोजित करेगा। आयोग ने प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों की सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट (https://upsconline.nic.in) पर ई-प्रवेश पत्र अपलोड किए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट ले लें। इस ई-प्रवेश पत्र को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2024 के अंतिम परिणाम की घोषणा तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इस परीक्षा के लिए कोई कागजी प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

2. उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रवेश हेतु उन्हें आबंटित परीक्षा-स्थल पर अपने ई-प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट प्रस्तुत करना होगा। **जो उम्मीदवार आबंटित परीक्षा-स्थल पर जांच हेतु अपना ई-प्रवेश पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।** उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक सत्र में प्रवेश के लिए उस फोटो पहचान पत्र को भी साथ लाना होगा, जिसकी संख्या का उल्लेख ई-प्रवेश पत्र पर किया गया है।

3. *जिस उम्मीदवार के ई-प्रवेश पत्र पर उसका फोटो स्पष्ट नहीं है अथवा फोटो पर उसका नाम और फोटो खींचने की तारीख नहीं है, उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अपने साथ एक फोटो पहचान-पत्र, पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ (उसके नाम और फोटो खींचने की तारीख सहित), प्रत्येक सत्र के लिए एक फोटो तथा एक परिवचन लाना होगा।*

4. ई-प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की विसंगति के मामले में, आयोग को तत्काल ई-मेल के माध्यम से (ई-मेल आईडी soe23-upsc@gov.in पर) सूचित किया जाए, ताकि ऐसे मामले में निर्णय लिया जा सके।

5. *यह भी नोट कर लिया जाए कि परीक्षा-स्थल पर प्रवेश, परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले, अर्थात पूर्वाह्न सत्र के लिए प्रात: 09:30 बजे तथा अपराह्न सत्र के लिए अपराह्न 01:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा-स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को*

यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें उनके ई-प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा-स्थल के अलावा किसी अन्य परीक्षा-स्थल पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. *उम्मीदवार, कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उनके ई-प्रवेश पत्र के सभी विवरण जैसे नाम, फोटोग्राफ एवं क्यूआर कोड सही हैं। किसी भी विसंगति (यों) के मामले में, वे इस संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क कर सकते हैं।*

7. उम्मीदवारों को परीक्षा भवन परिसर में कोई भी मूल्यवान / कीमती सामान, स्मार्ट/डिजिटल वॉच, अन्य आईटी गैजेट, पुस्तकें, बैग आदि के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ प्रतिबंधित वस्तुएं न लाएं ***क्योंकि परीक्षा-स्थल पर्यवेक्षक इन वस्तुओं को परीक्षा-स्थल पर रखने का कोई प्रबंध नहीं करेंगे। यदि कोई उम्मीदवार ऐसी प्रतिबंधित वस्तु लाता है, तो वह उस वस्तु को परीक्षा-स्थल के बाहर रखने का प्रबंध स्वयं करेगा और इस संबंध में हुई किसी क्षति के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।*** *इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को परीक्षा-स्थल में अपने साथ केवल ई-प्रवेश पत्र, पेन, पेंसिल, पहचान का प्रमाण, स्वयं की फोटो की प्रतियां (जो भी लागू हो) और ई-प्रवेश पत्र के अनुदेशों में यथा विनिर्दिष्ट अन्य वस्तुओं को लाने की अनुमति होगी। परीक्षा-स्थल के भीतर अन्य किसी वस्तु को साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी।*

8. परीक्षा भवन परिसर में मोबाइल फोन (चाहे स्विच ऑफ मोड में हो) तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक/संचार यंत्र अथवा अन्य कोई आपत्तिजनक सामग्री (ई-प्रवेश पत्र, पेपर, रबड़ आदि में नोट्स) अपने पास रखने /इनका इस्तेमाल करने या किसी अनुदेश का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उम्मीदवार की उम्मीदवारी रदद् करना, उम्मीदवार के विरुद्ध एफआईआर/पुलिस शिकायत दर्ज करना, परीक्षा के अगले सत्र (सत्रों) / दिन (दिनों) प्रवेश पर प्रतिबंध आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा परीक्षा की नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कोई अन्य उचित कार्रवाई भी की जा सकती है।

9. उम्मीदवारों को अपने साथ **काला बाल प्वाइंट पेन** लाने की भी सलाह दी जाती है क्योंकि उम्मीदवारों को ओएमआर उत्तर-पत्रक और उपस्थिति सूची में प्रविष्टियां **केवल काले बॉल प्वाइंट पेन** से करनी होंगी।

10. उम्मीदवारों को परीक्षा कक्ष/हॉल के भीतर सामान्य अथवा साधारण कलाई घड़ी के प्रयोग की अनुमति होगी। परन्तु, किसी विशेष एक्सेसरी से युक्त घड़ियां, जिन्हें संचार साधन के तौर पर प्रयोग किया जा सके अथवा स्मार्ट वाच का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित है और

उम्मीदवारों को इस प्रकार की घड़ियां परीक्षा कक्ष/हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा में किसी भी प्रकार के कैलकुलेटर की अनुमति नहीं है।

11. जिन उम्मीदवारों ने उचित विधि प्रक्रिया अपनाकर मैट्रिकुलेशन के उपरान्त अपने नाम में परिवर्तन किया है, उन्हें परीक्षा के प्रत्येक सत्र में अपने साथ ई-प्रवेश पत्र, सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान-पत्र और/या परिवर्तित नाम की मूल गजट अधिसूचना लानी होगी।

12. इस परीक्षा के प्रश्न-पत्रों में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित अभ्यावेदन, यदि कोई हो, उम्मीदवारों द्वारा, 05 अगस्त - 11 अगस्त, 2024 (सायं 06:00 बजे तक) की अवधि के दौरान केवल “ऑन-लाइन प्रश्न-पत्र अभ्यावेदन पोर्टल” [Online Question Paper Representation Portal (QPRep)”] के यूआरएल https://upsconline.nic.in/miscellaneous/QPRep/ के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आयोग द्वारा किसी अन्य माध्यम से तथा इस अवधि के बाद प्राप्त कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

<u>संघ लोक सेवा आयोग</u>
नई दिल्ली-110069 दिनांक 26 जुलाई, 2024